भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2453

जिसका उत्तर दिनांक 26.12.2018 को दिया जाना है।

परमाणु सामग्रियों और सुविधाओं का संरक्षण

2453. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :
श्री राहुल शेवाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परमाणु सामग्रियों और सुविधाओं के भौतिक संरक्षण के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन ने देश में परमाणु विनियामक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के संबंध में भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को सुधार के सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इन सुधारों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक इन सुझावों का कितना अनुपालन किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए ई आर बी) ने नाभिकीय पदार्थों और सुविधाओं के वास्तविक संरक्षण संबंधी विस्तृत आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शी दस्तावेज़, देश की सभी नाभिकीय सुविधाओं द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए, जारी किए हैं। नाभिकीय सुविधाओं के विभिन्न चरणों के लिए अनुमति देने से पहले ए ई आर बी द्वारा इन पहलुओं की समीक्षा की जाती है तथा बहु-स्तरीय समीक्षाओं और आवधिक नियामक निरीक्षणों के माध्यम से इन आवश्यकताओं के अनुपालन के मॉनीटरन की एक सुस्थापित प्रक्रिया विद्यमान है।

(ख) जी, नहीं। ए ई आर बी ने इन दिशानिर्देशों का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनज़र लागू नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) उपरोक्त (घ) के मद्देनज़र लागू नहीं।

* * * * * * *